कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, चूरू

फोन न 01562–250594, फैक्स 01562–255983,ई–मेल pd-chu-rj@nic.in

क्रमांक :– एफ 5/मनरेगा/SSAAT/सा.अंके./2022/2410 दिनांक :– 14-10-2022

विज्ञप्ति

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में अंकेक्षण कार्यो के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग (MoRD), भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देश / अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय (मासिक आधारित) पर निर्धारित शर्तों पर एक वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online applications) आमंत्रित किये जाते है:–

1. सेवाओं के लिए मुख्य शर्तो का सारांश:–

क.सं.	सेवा का नाम	संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताएं			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	तकनीकी / प्रशैक्षणिक	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	51	500/– प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्यागिक/कम्प्युटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाये जा रहे कम्प्युटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र(RSCIT)	21–64 वर्ष अधिकतम	31.10.2022

2. आवेदन हेतु दिशा निर्देश:–

1. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रकिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिये गये प्रावधानानुसार ऑनलाइन (Online) रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाईट पर विज्ञप्ति जारी कर आवेदन लिये जायेंगे।
2. सभी आवेदकों द्वारा जिला वेबसाइट churu.rajasthan.gov.in के लिंक https://www.churu.rajasthan.gov.in/order/detail/62641 पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर वांछित दस्तावेज संलग्न कर sauditchuru@gmail.com पर अपना आवेदन पत्र पीडीएफ फोर्मेट में(संलग्नकों सहित) प्रेषित करेगें। आवेदक द्वारा ऑनलाइन भिजवाये जाने वाले आवेदन पत्र संलग्नकों सहित स्केन कर पीडीएफ फाइल में भेजे जो 05 एमबी से ज्यादा न हो। उन्ही अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगें जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरकर जिले की ई–मेल (sauditchuru@gmail.com)एड्रेस पर पीडीएफ फाइल में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व भेजेगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online application Form) में समस्त वांछित सूचनाऐं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व सम्बन्धित जिला कार्यालय की वेबसाईट churu.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों, दिशा–निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ ले तथा इनमें दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुये ही आवेदन भरे। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गयी है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटी को संशोधित करने की अनुमति नही दी जायेगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नही किया जायेगा। कोई

2839

सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वंय आवेदक की होगी।

3. परीक्षा शूल्क– आवेदक द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सामान्य अभ्यर्थी से 100 रूपये का परीक्षा शुल्क SSAAT के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सचिवालय शाखा (IFSC Code SBIN0031031) के खाता संख्या 38872762396 में Director, SSAAT के नाम से जमा करावें तथा उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ई–मेल पर भिजवाये। अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति. पिछड़ा वर्ग के आवदको को परीक्षा शुल्क जमा करवाने से छूट होगी।

4. पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तेः–
सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 के आदेश कमांक एफ61(21) SSAAT/नियमावली/23019/7497–7514 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 2/2020) एवं संशोधित विनियम समसंख्यक आदेश कमांक 1805 दिनांक 27.11.2020 (आदेश संख्या 10/2020) की पालना की जावें। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता आयु, शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यताऐं निम्नानुसार है, जिनके लिए सोसायटी के विनियमों में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualification) होनी आवश्यक है।

1. शैक्षणिक योग्यताः– पुरूष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2. प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता– RSCIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्यागिकी/कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. आयु– आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। संसाधन व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी।
4. आवेदन सिविल सोसायटी/संगठन से होना चाहिये।
5. आवेदक राजकीय कर्मचारी नही होना परन्तु सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी पात्र होगे।
6. आवेदन–कर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिये।

चयन प्रक्रियाः–

1. उपरोक्त सभी आहरताओं के लिये निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगेः–
   (क) उपरोक्त बिन्दु संख्या 4(1)(2) एवं (3) के लिये संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक /तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंकतालिकाऐ, प्रमाण पत्र।
   (ख) बिन्दु संख्या 4(5)के लिये स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र
   (ग) बिन्दु संख्या 4(6) के लिये राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
   (घ) बिन्दु संख्या 4(4) के लिये सामाजिक क्षैत्र में कार्यरत सिविल सेवी सेस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/इस कार्य में लगे हुये अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिये उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण अंकित हो।
2 आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।
3. आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदको की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्व 1.5 गुणा आवेदको की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी।

4. लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदो के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांको के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांको के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरीयता सूची (Merit List) तैयार की जावेगी।

5. आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आंवटित नही किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जावेगा।

6. ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमत्री आवास योजना –ग्रामीण आदि अन्य योजनाओ के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

7. ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

8. ब्लॉक संधाधन व्यक्तियों के (संविदा कार्मिकों) चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण / रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जावेगी।

9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय स्तर पर ऑनलाईन प्राप्त किया जावेगा।

6. ऑन लाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि :–

ऑन लाईन आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2022 की मध्य रात्रि 12.00 बजे तक संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक की वेवसाईट sauditchuru@gmail.com पर भरे जायेगे।

7. मेरिट बनाना एवं दस्तावेजो/प्रमाण पत्रों का सत्यापन :–

1. दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिये आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
2. दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन संबंधित चयन समिति द्वारा किया जावेगा और इसके पश्चात् ही अंतिम वरियता सूची तैयार की जावेगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसायटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रूचि नहीं रखते है वरियता सूची में सम्मलित नहीं किया जावेगा।

8. ब्लॉक संधाधन व्यक्तिों की जो संविदा सेवायें लिया जाना प्रस्तावित है वे पूर्णतः अस्थाई तौर पर पर ली जा रही है। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने बाबत् कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जावेगा। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल एक वर्ष का अनुबंध किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरान्त पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्वि नहीं की जावेगी। वरन् सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी/संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिये नवीन अनुबंध ही किया जावेगा। चयनित व्यक्ति को 100 रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना होगा की वे राजकीय सेवा के लिये अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नही करेगे क्योंकि ये सेवायें पूर्णतः अस्थाई एवं मासिक संविदा आधारित है।

9. कोई भी आवेदक किसी भी राजनैतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनैतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।

10. उपरोक्त समस्त चयन प्रकिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्षा, कार्यकारी समिति (EC) SSAAT को प्राप्त होगे।

11. विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों मे न्याय क्षेत्र केवल संबंधित जिला न्यायालय होगे।

संलग्न :– जिलों को आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की सूची।

जिला कार्य्रकम समन्वयक
एवं जिला कलक्टर, चूरू